अध्याय - 3

प्रचार कार्यक्रम

मुख्य विषय जिन पर इकाइयां प्रचार कार्यक्रम आयोजित करती हैं, वे हैं राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक सद्भाव, प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण और सामाजिक बुराइयों का निराकरण जैसे-छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल-विवाह, मद्यपान तथा मादक पदार्थों का सेवन । मुख्य सामाजिक विषय के तहत ग्रामीण विकास, एड्स, नई आर्थिक नीति तथा संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विभिन्न पहलू आते हैं । उपर्युक्त के अलावा विभिन्न मंत्रालयों की सलाह पर नए विषय भी शामिल किए जाते हैं । समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास मुख्य विषय है जिसके साथ अन्य सभी राष्ट्रीय विषय तथा कार्यक्रम यूपीए सरकार के राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम के साथ विशेष महत्व देते हुए संगठित किया जाता है । क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां अपने सभी विविधता और बहुमूल्यता के साथ देश की सांस्कृतिक विरासत को दिखाती हैं तथा हमारे संस्कृति में गर्व से राष्ट्र एकता की भावना जगाने में मदद करती हैं ।

कार्यक्रम की रूपरेखा

विभिन्न विषयों पर प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी इकाइयों की होती हैं । ये इकाइयां मुख्य रूप से जिला मुख्यालय में स्थित होती हैं तथा उनके क्षेत्राधिकार की सीमा स्पष्ट रूप में निर्धारित रहती है । वे जिला स्तर के सहयोगी संगठनों के सहयोग से अथवा इस उद्देश्य के लिए बनी जिला चौक पर आगामी माह के लिए अपना कार्यक्रम तय करते है तथा उसे संयुक्त निदेशक (रीजन) को अनुमोदन हेतु भेजते हैं जो अपने रीजन के क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के कार्यों पर नजर एवं नियंत्रण रखते हैं । अपना कार्यक्रम बनाते वक्त इकाइयों को न केवल प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को ध्यान में रखना होता है बल्कि अपने क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत क्षेत्र के शेष भागों में गामीण, अर्ध-शहरी तथा पिछड़े क्षेत्रो के लाभ के लिए कवरेज को सुनिश्चित करना पड़ता है । वे अपने कवरेज के विशेष अवधि के लिए विषय तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र भी चुनते हैं और साथ ही यह भी सुनिश्चित करते है कि विविध विषयों के साथ कार्यक्रम का मुख्य मूल विषय छूट न जाए ।

कार्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित चार बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः

(अ) प्रचार से संबंधित विषय की पहचान तथा संचार माध्यम ।

(ब) निश्चित प्राथमिकता के संबंध में क्षेत्रों की पहचान ।

(स) लक्ष्य दर्शक समूह की पहचान, तथा

(द) सहयोग की मात्रा का पहचान तथा सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों से समन्वय ।

दौरा और ग्रामीण कवरेज

जबकि विभिन्न क्षेत्रों के आवश्यकताओं तथा अड़चनों को ध्यान में रखकर इकाइयों के कार्यक्रमों के लिए बनाये गये मानकों में समय-समय पर संसोधन किया जाता है, फिर भी सब मिलाकर इकाइयों को एक माह में 10 दिन रात्रि निवास के साथ दौरे पर रहना पड़ता है । साथ ही यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है कि एक माह में किये गये कवरेज का 80% क्षेत्र ग्रामीण, पिछड़े तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों से सम्बद्ध रहा हो । पीओएल की उच्चतम सीमा को ध्यान में रखकर प्रायः एक माह में इकाइयां दो हिस्सो में भ्रमण के लिए प्रस्थान करती है ।

चलचित्र प्रदर्शन

इकाइयां दृश्य-श्रवण उपकरण जैसे सुवाह्य वीडियो प्रोजेक्टरों, अन्य उप साधनों तथा एक जेनेरेटर से लैस रहती है तथा क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन हेतु अपने साथ बहुत-सी फिल्में ले जाती है । दर्शकों तथा मुख्य विषय को ध्यान में रख कर इकाइयां चलचित्र प्रदर्शन के दौरान कुछ चुने हुए विषयों से संबंधित डाक्यूमेन्टरी भी दिखाती है । ऐसा करके वे मनोरंजन कराने के साथ-साथ लोगों को शिक्षित करने का भी प्रयास करती है ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे ।

मुद्रित सामग्री का प्रदर्शन एवं वितरण

कार्यक्रम स्थल पर जहाँ चलचित्र का प्रदर्शन किया जाता है वही पर विज्ञापन दृश्य प्रचार निदेशालय तथा अन्य सरकारी एजेन्सियों द्वारा प्रासंगिक विषयों पर आपूर्ति की गई मुद्रित सामग्री का बृहत्त रूप से वितरण किया जाता है । बुकलेट, लिफलेट, फोल्डरों आदि को तो बांट दिया जाता है लेकिन पोस्टरों को सरपंच अथवा प्रधान अथवा स्थानीय स्कूल के कर्मचारी की सहायता से विशिष्ट स्थानों पर चिपकाया जाता है ।

गीत एवं नाटक कार्यक्रम

चलचित्र कार्यक्रम के अलावा इकाई गीत एवं नाटक कार्यक्रम भी आयोजित करती है । गीत एवं नाटक कार्यक्रम के निम्नलिखित प्रचलित श्रेणियां हैः (अ) ड्रामा और (ब) कम्पोजिट कार्यक्रम (जिनमें म्यूजिक, कनसर्ट, बैलेट, फोक डांस, कवाली आदि शामिल है) पारंपरिक सांस्कृतिक माध्यम जैसे लोक गीत/लोक नाटक के अतिरिक्त हरि कथा, कठपुतली कार्यक्रम, रासलीला, आल्हा, काव्य गोष्ठी आदि भी गीत एवं नाटक प्रभाग के सहयोग से करायी जाती है ।

रिकार्डेड टेपों/कैसेटों का प्रसारण

प्रायः सभी इकाइयों को टेपरिकार्डर उपलब्ध कराया गया है जिसका वे कार्यक्रम स्थल पर प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करती हैं । टेपरिकार्डर द्वारा अच्छे मधुर भजनों, देशभक्ति के गीतों तथा स्किटों को बजाया जाता है । यह दर्शकों को कार्यक्रम स्थल की ओर आकर्षित करने के साथ-साथ उन्हें मुख्य कार्यक्रमों जैसे चलचित्र प्रदर्शन अथवा गीत एवं नाटक कार्यक्रम के प्रति और प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए अनुकूल महौल बनाने में मदद करता है । राष्ट्रीय नेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों के भाषणों को भी टेप के द्वारा सुनाया जाता हैं । इन भाषणों को आकाशवाणी तथा किसी अन्य एजेन्सी, जिनके पास अनुभवी स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण के स्टाक मैजूद रहते है, की सहायता से तैयार किया जाता है ।

मौखिक संदेश कार्यक्रम

संचार के अति महत्वपूर्ण साधन में से एक है मौखिक संदेश अथवा अंतर-वैयक्तिक संचार जिसका इस्तेमाल क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां करती हैं । चूकि क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां लोगों के आमने-सामने आकर अपना कार्य करती है उन्हें विभिन्न संदेशों को प्रसारित करने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल करने का लाभ मिलता है । इन कार्यक्रमों में लोच होने का लाभ होता है, क्योंकि संदेश का आवाज और तरीका स्थिति को ध्यान में रखकर बदला जा सकता है । जब किसी विशेष विषय पर अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं होते है तो इसे इस्तेमाल करना आसान है ।

अन्य माध्यमों के तुलना में मौखिक संदेश में एक धार है । इससे दो-तरफा संचार का लाभ होता है जो प्रायः अन्य माध्यमों में देखने को नहीं मिलती । वे यह जाने बिना कि दूसरी तरफ संदेशों को ग्रहण किया जा रहा है या नहीं, संदेश प्रसारित करते रहते हैं । उन्हें यह भी पता नहीं होता कि संदेश को और सत्याभाशी तथा ग्राह्य्य बनाने के लिए किस तरह के संशोधन की आवश्यकता है ।

क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के दर्शकों को वार्ताओं, सामूहिक वार्तालापों, गोष्ठी तथा परिसंवादों, विशेष कार्यक्रमों के जरिए मौखिक संदेश देती हैं ।

समन्वय

निचले स्तर पर प्रचार कार्य सम्पन्न कर रहे क्षेत्रीय प्रचार इकाइयों के कार्य का महत्व और बढ़ जाता है जब वे अपने कार्यक्रम को सफल बनाने का पूरा प्रयास करते हैं । परंतु इकाई जब अकेले कार्य करती है तो यह संभव नहीं होता है । वास्तव में कार्यक्रम की सफलता पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों का कितना सहायोग प्राप्त किया है । आम आदमी की भलाई के लिए आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में लगी सरकारी तथा सहयोगी संस्थाओं के अलावा गैर-सरकारी एजेन्सियां भी हैं जो अपने

कार्य क्षेत्र में योगदान दे रही हैं । विभिन्न राष्ट्रीय विषयों पर विशेष अभियान अथवा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इन एजेन्सियों का सहयोग उचित समन्वयन हेतु लिया जा सकता है । अतः क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी द्वारा विभिन्न राज्य सरकार के विभागों जैसे कृषि, योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मद्यनिषेध विभाग, खण्ड विकास कार्यालयों के सम्पर्क में रहने का प्रयास किया जाता है जो कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं ।